न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 16 / अ–20(3) / 2020–21

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग
नीमच जिला नीमच ——————आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन——————अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक05 – 11–2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र क्र. 2055 दिनांक 13/07/2020 द्वारा जलसंसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना पगारा तालाब हेतु 5.00 हे., कालिया खो तालाब 20.00हे. व चम्बलेश्वर तालाब की उंचाई बढाने हेतु 1.00 हे. कुल 26.00 हे. भूमि वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करायें जानें का अनुरोध किया गया।

2– प्रकरण में तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रस्तुत किया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। मौजा पटवारी हांसपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवरी द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा हांसपुर स्थित भूमि सर्वे न. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.030 हे. भूमि चरागाह के रूप में शासकीय भूमि होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है उक्त भूमियों पर कृषकों द्वारा लगभग रकबा 0.600 हे. भूमि में अतिक्रमण है, जिसनें कृषकों द्वारा फसल बोई गई है उक्त भूमि मे दो पक्के मंदिर, माताजी का मंदिर व भैरव मंदिर स्थित हैं व दो तालाब, पुराना तालाब एवं पुलिया तालाब स्थित है । उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 3.00 हे. भूमि पर नर्सरी का निर्माण किया हुआ है, उक्त भूमि के शेष भाग पर ग्राम के पशु घास चरते है। वर्तमान मे ग्राम का कुल रकबा 932.64 हे. है जिसमें चरागाह का रकबा 88.99 हे. है जो कि ग्राम के कुल रकबे का 9.54 प्रतिशत है, रकबा 25.00 हे. भूमि कम होने पर चरागाह का रकबा 63.99 हे. होकर जो कुल ग्राम के रकबे का 6.8 प्रतिशत हो जाएगा। प्रकरण में ग्राम पंचायत हांसपुर द्वारा अपने ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रतिवेदित किया कि उक्त भूमि पशुओं के चराने तथा बना मार्ग आने जाने तथा तालाब तलाईयां, वृक्षारोपण वर्तमान मे प्रस्तावित है। उक्त भूमि को परिवर्तित किया जाना उचित नही प्रतिवेदित किया गया। तहसीलदार मनासा द्वारा अवलोकन कर म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका–25 अनुसार निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि :–

1. स्थल मानचित्र :– प्रकरण के संलग्न है
2. संधारण खसरे अथवा अधिकार अभिलेख की प्रतियां :– प्रकरण के संलग्न हैं।
3. [illegible]
   [illegible] हेतु [illegible] है, जिसे हेतु [illegible] तथा [illegible] का निर्धारण करवाया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है।
4. स्थानीय निकायों से परामर्श स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, हांसपुर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को आवंटित किये जानें के ठहराव–प्रस्ताव प्रस्तुत कर असहमति व्यक्त की गई। उक्त

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

प्र.क्र. 16 / अ–20(3) / 2020–21 //2//

प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर शासकीय प्रयोजन हेतु आवंटित की जाना प्रस्तावित होने से ग्राम पंचायत की असहमति अमान्य की जाती है।

5. अन्य विभागों से परामर्श -- अपेक्षित नही।
6. स्वयं पूर्ण प्रतिवेदन -- प्रतिवेदन अंकित किया गया है।
7. निकटवर्ती भू–खण्ड धारकों से परामर्श – प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है साथ ही उक्त भूमि के आबंटन हेतु परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, नियत समयावधि में प्राप्त आपत्ति/परामर्श इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो कि मान्य किये जानें योग्य नही होनें से अमान्य किया जाता है।
8. रियायती निबन्धनों पर दी गई भूमि -- प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग पगारा तालाब एवं कालिया खो तालाब हेतु ली गई भूमि के बदले प्रदान की जाना है जिस हेतु कोई इमारत निर्माण नही होना है, अतएव प्रश्नाधीन भूमि के आबंटन हेतु उक्त निर्बंधन लागू नही होते है।
9. भूमि दिये जाने के कारण -- कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच का पत्र क्र. 2055 दिनांक 13/07/2020 अनुसार जलसंसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराई जाना है।
10. अतिक्रमण -- पटवारी, मौंजा हांसपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रामकों द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया गया है, जिस हेतु पृथक अतिक्रामकों के विरुद्ध धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रश्नाधीन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जावेगा।
11. मुख्य नगर निवेशक का मत -- आवश्यक प्रतीत नही होता है
12. प्रतिमाओं अथवा अर्ध प्रतिमाओं की स्थापना के लिये भूमि देना – निरंक
13. आयुक्तों का मत – अपेक्षित नही
14. आवेदन पत्र तथा उनके सहपत्र -- प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.00 हे. चरागाह मद में से रकबा 25.00 हे. भूमि को म.प्र. भू.रा.पु.प. की कंडिका–25 में अंकित बिन्दूओं की पूर्णता उपरांत म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 237 के तहत प्रश्नाधीन चरागाह मद की भूमि की नोईयत परिवर्तित कर काबित काश्त घोषित किये जाने के उपरांत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच को जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि हेतु आबंटित किया जाना उचित होगा, उल्लेखित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया गया।

3– अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–मनासा द्वारा तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होकर अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

[illegible] गया। विवेचना मे पाया जाता है कि तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.00 हे. चरागाह मद में से रकबा 25.00 हे. भूमि को म.प्र. भू.रा.पु.प. की कंडिका--25 मे अंकित बिन्दूओं की पूर्णता उपरांत म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत प्रश्नाधीन चरागाह [illegible]

जल संसाधन संभाग, नीमच को जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई योजना हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण के समग्र विश्लेषण में पाया कि जलस संसाधन संभाग नीमच के पत्रानुसार पगारा तालाब हेतु 5.00 हे. एवं कालिया खो तालाब हेतु 20.00 हे. तथा चम्बलेश्वर तालाब की उचाई बढाने से 1.00 हे. वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है । प्रकरण में ग्राम पंचायत की आपत्ति विधिसम्मत नही होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया कि वन विभाग को हस्तांतरित भूमि की नोईयत चरागाह होने से उसे परिवर्तित करने पर चरागाह का रकबा 2 प्रतिशत से अधिक रहेगा । ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 1024 रकबा 24.110 हे. एवं सर्वे नं. 718 रकबा 23.03 हे. भूमि मद चरागाह में से रकबा 26.00 हे. भूमि को म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत चरागाह मद से का.का. मद में परिवर्तित करते हुए जल संसाधन संभाग नीमच की प्रस्तावित सिंचाई योजना पगारा तालाब, कालिया खो, एवं चम्बलेश्वर बांध से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्त राजस्व भूमि वन विभाग नीमच को निम्नलिखित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है:–

1 विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आदेश में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार ही करेगा।

2 भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जावेगा ।

3. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

4. विभाग को पगारा तालाब, कालिया खो तालाब, तथा चंबलेश्वर बांध योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्राप्त करने उपरांत प्रभावित वन भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग को सौंपना होगा ।

5 उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(जितेन्द्र सिंह राजे)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 495/आर.टी.सी. /2020
प्रतिलिपि–

नीमच, दिनांक 05–11–2020

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ

2-- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा की ओर सूचनार्थ।

3-- तहसीलदार मनासा की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कार्य सुनिश्चित करें ।

[illegible] जल संसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

6- अधीक्षक भू–अभिलेख जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला नीमच म.प्र.